राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 138/2023

शीशराम सैनी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, अजमेर संभाग, अजमेर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय, भीलवाडा।
5. प्रधानाचार्य/पीईईओ, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, गुलाबपुरा, भीलवाडा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 06.01.2023
आदेश की दिनांक : 11.01.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोषावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रधानाध्यापक/वरिष्ठ अध्यापक (सामाजिक विज्ञान) के पद पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, मजदूर कॉलोनी, गुलाबपुरा, भीलवाडा में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 16.12.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, गगवाना, अजमेर ग्रामीण किया गया है। उक्त आदेश की पालना में आलोच्य आदेश दिनांक 06.01.2023 (अनुलग्नक–3) के द्वारा कार्यमुक्त किया गया। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का आगे तर्क है कि उक्त आदेश के द्वारा अपीलार्थी को प्रतिनियुक्ति पर

चयन करके पदस्थापन किया गया है। अपीलार्थी ने अपने पारिवारिक परिस्थितियों के कारण प्रतिनियुक्ति पर नहीं जाने हेतु दिनांक 20.12.2022 को प्रत्यर्थी संख्या 5 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया परंतु अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र को प्रत्यर्थीगण द्वारा निर्णय किए जाने से पूर्व ही प्रत्यर्थी संख्या 5 ने आलोच्य आदेश दिनांक 06.01.2023 के द्वारा अपीलार्थी को पदस्थापन स्थान के लिए कार्यमुक्त किया जबकि अपीलार्थी का यह अधिकार है कि प्रतिनियुक्ति पर नहीं जाने हेतु कभी भी इनकार कर सकता है।

अतः अपीलार्थी की उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 16.12.2022 (अनुलग्नक–1) एवं कार्युक्त आदेश दिनांक 06.01.2023 (अनुलग्नक–3) को अपास्त फरमाया जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ताओं को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 20.12.2022 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि अपीलार्थी प्रतिनियुक्ति पर नहीं जाना चाहता है। प्रत्यर्थीगण के निर्णय करने से पूर्व ही प्रत्यर्थी संख्या 5 ने अपीलार्थी को कार्यमुक्त किया है जबकि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा ने दिनांक 27.06.2022 को जिला शिक्षा अधिकारी पर प्रतिनियुक्ति पर नहीं जाने वाले कार्मिकों के संबंध में निर्णय करने के निर्देश जारी किए हैं। किसी भी कार्मिक को बिना ईच्छा के प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापन किया जाना नियमानुसार नहीं है। इस प्रकार उक्त आधारों को ध्यान में रखते हुए न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। अपीलार्थी के अभ्यावेदन के निस्तारण होने तक अपीलार्थी के

सम्बन्ध में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 16.12.2022 (अनुलग्नक–1) एवं कार्यमुक्त आदेश दिनांक 06.01.2023 (अनुलग्नक–3) का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोषावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य